(43)

संख्याः 05/N.P./XXIV-3/11/02(24)2011

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव (स्वतन्त्र प्रभार),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उप महानिदेशक,
एन0सी0सी0 निदेशालय,
बंग्ला नं0पी–4 नागनाथ रोड,
घंघोड़ा कैन्ट, देहरादून उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 02 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 के द्वितीय त्रैमास में राष्ट्रीय सेना छात्र दल (एन0सी0सी0) की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 3208/प्लान/नान प्लान/2011–12/वित्त दिनांकः 28 जून, 2011 एवं संख्याः 3208/2011–12/03/अवचनबद्ध/वित्त दिनांकः 29 जून, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के द्वितीय त्रैमास में राष्ट्रीय सेना छात्र दल (एन0सी0सी0) की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 70,81,000/– (रूपये सत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र) की धनराशि को आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

2. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण/व्यय, प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0 50.00 लाख के नियमानुसार पूर्ण व्यय हो जाने के उपरान्त मासिक व्यय की सारणी बनाकर ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नयी मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगाः–

1–योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2–यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

क्रमशः...2

4–आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय।

5– मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

6– व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

7– स्वीकृत धनराशि की जिलेवार फांट सम्बन्धित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्यक प्राप्त कर ली जाय।

9–किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुर्नविनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

10– बजट मैन्युवल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पॉच भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12–अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की त्रैमासिक फेजिंग प्रशासनिक विभाग अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध करायेंगे, जिससे राज्य स्तर पर कैशप्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।

3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन मदों में बजट व्यवस्था है, उन मदों में फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हों।

4. प्रत्येक माह वित्त विभाग को आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्याः 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 80–सामान्य, 800–अन्य व्यय, 04–राष्ट्रीय सेना छात्र दल (एन0सी0सी0), 42–अन्य व्यय के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः...3

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्याः18(NP)XXVII(3)2011-12 /दिनांकः 29 अगस्त, 2011 में प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न यथोक्त

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव
(स्वतन्त्र प्रभार)।

संख्याः 05(16)/N.P./XXIV-3/11/02(24)11तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुंख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री,उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
12– वित्त विभाग (अनुभाग–3) उत्तराखण्ड शासन।
13– कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
14– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
15– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0 तिवारी)
अनुसचिव।